Dr. Khalid Hussain

Paper VIII

संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य (Aims and Objects of the UNO) Paper- VIII

यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने में राष्ट्रसंघ (League of Nations) सफल नहीं हो सका, परंतु उसकी असफलता से अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के विचार का अंत नहीं हुआ। वस्तव में, द्वितीय विश्वयुद्ध (Second world war) ने सामूहिक सुरक्षा के लिए एक ~~अधिक~~ राष्ट्रसंघ से अधिक प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता को उजागर किया। 1945 में UNO की स्थापना ऐसी ही आवश्यकता की अनुभूति के चलते हुई। ~~संयुक्त राष्ट्र के निर्माताओं ने~~ UNO के चार्टर के निर्माताओं ने सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में राष्ट्रों के मध्य सहयोग को भी अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए आवश्यक माना। इसलिए एक ओर शांतिपूर्ण एवं सामूहिक सुरक्षोपायों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना UNO का उद्देश्य है तो दूसरी ओर उसका उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों का निर्माण भी है जो अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को स्थायी आधार प्रदान कर सकें।

UNO के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का संकेत चार्टर की प्रस्तावना तथा पहली धारा में मिलता है। इनके अनुसार UNO के निम्न उद्देश्य हैं:-

(i) अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना (maintenance of International peace and security)

(ii) राज्यों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास (Development of ~~Friendly~~ Friendly Relations among States)

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा (Promotion of International co-operation)

(iv) सामंजस्य (co-ordination)

1. अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना:- अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना UNO का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अन्य राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन तथा सामंजस्य जैसे UNO के उद्देश्य

Scanned with CamScanner

उसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य अर्थात शांति एवं सुरक्षा की स्थापना से ही संबंधित हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए चार्टर के अध्याय VI में ~~तथा~~ शांतिपूर्ण उपायों तथा अध्याय VII में सामूहिक सुरक्षा उपायों का उल्लेख किया गया है। शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के मार्ग में खतरा उपस्थित करने वाले विवादों के समाधान या समायोजन के लिए UNO वार्तालाप, जाँच तथा न्यायिक समाधान जैसे शांतिपूर्ण उपायों का सहारा ले सकता है। शांति के खतरे, शांति भंग तथा आक्रमण की कार्यवाई को रोकने ~~के~~ तथा दूर करने के लिए सुरक्षा परिषद को सामूहिक सुरक्षा उपायों को लागू करने का अधिकार दिया गया है। ऐसे उपायों में शांति भंग करने वाले तथा आक्रमण की कार्यवाई करने वाले राज्य के विरुद्ध आर्थिक एवं सैनिक दण्ड व्यवस्था सम्मिलित है।

2. राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास :⟶ अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के बने रहने के लिए राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों का बना रहना आवश्यक है। इस बात को महसूस करते हुए चार्टर के निर्माताओं ने समान अधिकारों के सिद्धान्त तथा ~~समान~~ ~~जनता~~ के आत्मनिर्णय के सिद्धान्त के प्रति आदर के आधार पर राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास के लिए प्रावधान किए।

3. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग :— अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयुक्त आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक दशाओं का होना आवश्यक है। चार्टर के निर्माताओं ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय स्वरूप की अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की प्राप्ति के लिए प्रावधान किए। इसके अतिरिक्त चार्टर में जाति, लिंग, भाषा, धर्म आदि के भेदभाव के बिना सबों के लिए मानवीय अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं की प्राप्ति को सम्भव बनाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल दिया गया है। साधारण सभा, ECOSOC (आर्थिक एवं सामाजिक परिषद) तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत से विशिष्ट अभिकरण विभिन्न क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संबंधित हैं। ऐसे विशिष्ट अभिकरणों में ILO, WHO, UNESCO आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

4. सामंजस्य :— UNO का अन्तिम महत्वपूर्ण उद्देश्य उपरोक्त तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सदस्य राज्यों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक केन्द्र के रूप में कार्य करना है।

Scanned with CamScanner

UNO के तत्वाधान में विशिष्ट अभिकरणों तथा UNO के बाहर राज्यों के कुछ निकायों द्वारा सम्पादित की जाने वाली गतिविधियों के बीच सामन्जस्य UNO ही स्थापित करता है।

UNO के उद्देश्य चाहे जितने भी सराहनीय एवं आकर्षक हों, परंतु बहुत से आलोचकों का ऐसा मत है कि इन उद्देश्यों का सैद्धांतिक मूल्य अधिक है और व्यावहारिक मूल्य बहुत ही कम। इस के विभिन्न अंगों को बाध्यकारी सत्ता प्राप्त नहीं है। साधारण सभा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद तथा विभिन्न विशिष्ट अभिकरण UNO की उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपायों की सिफारिश कर सकते हैं परंतु उन सिफारिशों को मानना या न मानना सदस्य राज्यों की मर्जी पर निर्भर करता है। केवल सुरक्षा-परिषद को बाध्यकारी सत्ता प्राप्त है। यदि वह धारा 39 के अन्तर्गत किसी राज्य को आक्रमणकारी घोषित करके उसके विरुद्ध आर्थिक एवं सैनिक दंड व्यवस्था लागू करने का निर्णय लेती है तो सदस्य राज्य उस निर्णय का पालन करने के लिए बाध्य हैं। परंतु यह उल्लेखनीय है कि सुरक्षा-परिषद का कार्यकरण एक लंबी अवधि तक शीतयुद्ध की राजनीति से प्रभावित रहा है और इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने में उसने वैसी भूमिका अदा नहीं की है जैसी भूमिका की आशा चार्टर के निर्माताओं ने की थी।

UNO के कमजोरियों तथा सीमाओं के बावजूद गैर-राजनीतिक क्षेत्रों में इसकी उपलब्धियाँ सराहनीय हैं। इसने निश्चित रूप से शांति एवं सुरक्षा के गैर-राजनीतिक आधार को मजबूत किया है। शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने में इसकी प्रत्यक्ष भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में कुछ हद तक सफल रहा है और विशेष रूप से peace-keeping operations के माध्यम से संघर्ष स्थानों में पुनः शांति स्थापित करने या कम से कम परिस्थिति को गंभीर रूप धारण करने से रोकने में सहायता पहुँचाई है। 1950 के कोरिया संकट तथा 1991 के खाड़ी संकट के समय सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को लागू करने के लिए सुरक्षा परिषद ने सैनिक दंड व्यवस्था का सहारा लिया। 1990 वाले दशक के प्रारम्भ से शीतयुद्ध के अंत से अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने में इसकी सक्रीयता के और बढ़ने के संकेत दृष्टिगोचर हो रहे हैं।

Scanned with CamScanner